संख्या:98/2025/751 /35-4-2025/35-4099/36/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर, 2025

विषय – जनपद सोनभद्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत **जनपद- सोनभद्र के राबर्ट्सगंज- सोनभद्र नगर पालिका परिषद में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य का** शासनादेश संख्या-46/2021/683/35-4-2021 दिनांक-15 मार्च, 2021 द्वारा धनराशि रू0 3783.80 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 945.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-391/2023/990/35-4-2023/35-4099 /36/2023 दिनांक-26 मार्च, 2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 945.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु कुल रू0 1891.90 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी के पत्र संख्या-184/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक- 20 फरवरी, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण व्यय किया जाना एवं टेन्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये लागत में हुयी बचत की धनराशि रू0 389.86 लाख को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि की मांग की गयी है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत एवं अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में रू0 1332.34 लाख (रूपये तेरह करोड़ बत्तीस लाख चौतीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	स्वीकृत/ पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज-सोनभद्र नगर पालिका परिषद में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य	3783.80	2561.15	389.86	3393.94	1891.90	1332.34

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-15 मार्च, 2021 तथा दिनांक-26 मार्च, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0 प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. **उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि पर अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि रू0 40,99,718.00 को कोषागार में जमा करने के पश्चात चालान की सत्यापित प्रति नियोजन अनुभाग-4 को उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही भविष्य में अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि को कोषागार में जमा करने के पश्चात चालान की सत्यापित प्रति एवं सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर शेष 05 प्रतिशत की धनराशि की मांग की जायेगी।**

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 13,32,34,000/- (रूपये तेरह करोड़ बत्तीस लाख चौतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4215021010302 जल निकासी कार्यक्रम के चालू कार्य के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-98/2025/751(1)/35-4-2025/35-4099/36/2023, तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। (इलाहाबाद)
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।(इलाहाबाद)
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, विन्ध्यांचल ।
8. प्रबंध निदेशक सी0एन0डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सोनभद्र ।
13. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,उत्तर प्रदेश जल निगम, सोनभद्र ।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संयुक्त सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।